

परिचायक-टिप्पणी

जहां तक व्यय संबंधी व्यवस्थाओं का संबंध है यह पुस्तक केन्द्रीय सरकार के बजट का एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है। इसे तीन भागों अर्थात्, भाग-I सामान्य, भाग-II आयोजना-भिन्न व्यय, और भाग-III आयोजना परिव्यय में बांटा गया है। विवरण और अनुबन्ध, जो इस पुस्तक का एक हिस्सा है, स्वतः स्पष्ट हैं और उनका उल्लेख आलेख में यथास्थान किया गया है। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के मामले में विभिन्न विवरणों में शामिल की गई व्यय व्यवस्थाएं वसूलियां और प्राप्तिyaं घटाकर दिखाई गई हैं ताकि व्ययों और प्राप्तिyaं के आंकड़ों का बहुत अधिक विस्तार न हो। इसी प्रकार, राज्यों को दिए गये ऐसे अल्पावधिक ऋणों और अग्रिमों को, जिनको उसी वर्ष के दौरान वसूल कर लिया गया है, घटाकर प्रदर्शित किया गया है।

2. इस पुस्तक में प्रस्तुत व्यय के अनुमानों में, रेलवे मंत्रालय के लेन-देनों के विस्तृत विश्लेषण को सम्मिलित नहीं किया गया है। किन्तु संविधान के अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत अलग से प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण में रेलवे मंत्रालय सहित केन्द्रीय सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों का व्यय शामिल किया गया है।

3. संविधान के अनुच्छेद 113 के अन्तर्गत अलग से प्रस्तुत अनुदानों की मांगों के द्वारा संसद की स्वीकृति व्यय की "सकल" राशियों के लिए मांगी गई है, जिनमें उन "वसूलियों" को हिसाब में नहीं लिया गया है जिन्हें खातों में व्यय में से घटाकर प्रदर्शित किया जाता है। इन वसूलियों की राशियों को अनुदानों की सम्बन्धित मांगों में भी दिखाया गया है। खाते में प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत व्यय को, इन वसूलियों को घटाने के बाद, वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया गया है। जैसाकि ऊपर बताया गया है, व्यय की विभिन्न मदों को समुचित रूप में स्पष्ट करने के लिए, इस पुस्तक में, कुछ गैर-ऋण प्राप्तिyaं को भी घटाया गया है। इस पुस्तक के अनुबंध-1 में खाते के प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत इस प्रकार के समायोजनों के बाद व्यय को दिखाया गया है। अनुबंध 2 में अनुबन्ध 1 में दिए गए जोड़ों तथा वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए व्यय के जोड़ों और अनुदानों की मांगों का मिलान किया गया है।

4. मौजूदा विवरण 21 (अनुसूचित जाति के विकास हेतु योजनाएं) और 21क (अनुसूचित जनजातियों हेतु विकास योजनाएं) को विवरणों में नए सिरे से तैयार किया गया है जिसमें क्रमशः अनुसूचित जाति उप आयोजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उप आयोजना (टीएसपी) के अन्तर्गत आयोजना स्कीमों में आवंटन दिखाया गया है। अनुदेश जारी किए गए हैं कि इन आवंटनों को पृथक लघु शीर्षों एससीएसपी के लिए 789 और टीएसपी के लिए 796 के अन्तर्गत विस्तृत अनुदानों की मांगों में दिखाया जाएगा तथा इन्हें एससीएसपी/टीएसपी के बाहर पुनर्विनियोजित नहीं किया जा सकता।

5. मौजूदा विवरण 19 में केन्द्रीय क्षेत्र की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के अन्तर्गत की योजनाओं तथा ईएपी के लिए राज्यों को एसीए हेतु 2010-11 के वास्तविक आंकड़ों को दिखाने हेतु संशोधित किया गया है। इस वर्ष से केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वायत्तशासी निकायों को विशेष रूप से वेतन हेतु प्रदत्त अनुदानों को दिखाने हेतु एक नए अनुबंध (अनुबंध 7क) को जोड़ा जा रहा है।

6. व्यय बजट खण्ड 1 और 2 में 2010-11 वास्तविक आंकड़े अनन्तिम हैं।